अखिल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा संघ के अधिकारियों के साथ उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक (एचआर एंड ट्रेनिंग) द्वारा 16.09.2019 को पूर्वाहन 10.30 बजे बैठक पर चर्चा का रिकार्ड नोट

1. 16.09.2019 को पूर्वाहन 10.30 बजे समिति कक्ष संख्या 510 में अखिल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा संघ के अधिकारियों के साथ उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक (एचआर एंड ट्रेनिंग) द्वारा एक एजेंडा बैठक का आयोजन किया गया। सहभागियों, जो बैठक में उपस्थित थे, की सूची अनुलग्नक 'ए' में दी गई है।

2. प्रारम्भ में, उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अखिल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा यह आशा जताई कि आगामी मंत्रणाएं सार्थक तथा उपयोगी होंगी।

3. इसके पश्चात 18 एजेंडा मदों पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

अनुलग्नक-ए

16.09.2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन को अखिल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा संघ के अधिकारियों के साथ उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक (एचआर एंड ट्रेनिंग) द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची।

सर्वश्री/श्रीमती

ए डब्ल्यू के लंगस्टेह	उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक (एचआर एंड ट्रेनिंग)
खालिद बिन जमाल	महानिदेशक (स्टॉफ)
वी एस वेंकटनाथन	सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अराज.)
एम विजया शांति	प्रशासनिक अधिकारी (जे. सी. एम.)
तपस बोस	अध्यक्ष (संघ के)
के सी मथाई	उप अध्यक्ष (संघ के)
एम. एस. राजा	महासचिव (संघ के)
अनिल कुमार	अपर सचिव (संघ के)

मांग संख्या 1: आईएएंडएडी में संवर्ग की पुन: संरचना।

स्पष्टीकरण:

आईएएंडएडी में संवर्ग की पिछली पुन: संरचना 1984 में हुई थी। जब 2018 में नए संवर्ग की पुन: संरचना का कार्य आरंभ हुआ था, तब हम बहुत खुश थे।

यद्यपि आरंभिक चरण में कार्य तेजी से चल रहा था- जब संघो को समय बर्बाद किए बिना अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राजी किया गया था तथा संघो के साथ चर्चा की व्यवस्था की गई थी- बाद में कार्य की प्रगति धीमी प्रतीत होती है।

स्टॉफ को प्रक्रिया की स्थिति की सूचना नहीं दी गई है तथा समिति की रिपोर्ट को स्टॉफ के साथ साझा नहीं किया गया है।

हमने अनुरोध किया कि स्टाफ से परामर्श करने के पश्चात् संवर्ग पुन: संरचना की प्रक्रिया शीघ्रतम पूर्ण की जाएं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

डीएआई ने सूचित किया कि दीर्घ अवधि के पश्चात् संवर्ग पुन: संरचना की जा रही है तथा इसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। यह मुख्यालय के विचाराधीन है।

मांग संख्या 2: सभी संवर्ग के लिए प्रवेश स्तर से 5 बार पदोन्नति।

स्पष्टीकरण:

ग्रेड 'बी' एवं 'सी' संवर्गों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत कम है। आईएएंडएडी के मुख्य संवर्गों के साथ डीईओ का एकीकरण (अर्थात् लेखापरीक्षक/लेखाकार के रूप में डीईओ की पदोन्नति) अभी भी लंबित है।

यदि वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता तो उसकी पदोन्नति के अवसर नगण्य है। पर्यवेक्षक के रूप में केवल 4% पद निश्चित किए गए है। (जहां लेखापरीक्षा में स.ले.अ. की रिक्तियां संस्वीकृत संख्या के 15% से अधिक है वहां 10%)।

एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार उसी पद पर औसत 25 वर्ष से अधिक रहता है तथा अधिकतर उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाते है।

स.ले.अ. के 50% पदों को संयुक्त पदक्रम सूची के साथ वरिष्ठता सह योग्यता पदोन्नति के लिए निश्चित किया जाएं।

कार्मिक का अधिक मनोबल सुनिश्चित करने के लिए आईएएंडएडी के ग्रुप बी एंव सी संवर्ग हेतु प्रवेश स्तर से पांच बार समयबद्ध पदोन्नति पर कृपया विचार किया जाएं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

यह मामला संवर्ग पुन: संरचना समिति के विचाराधीन है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाएं।

मांग सं. 3: डी.ई.ओ की लेखापरीक्षक/लेखाकार के रूप में पदोन्नति।

स्पष्टीकरण:

डी.ई.ओ एक संवर्ग है जिसमें अभी तक पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं, एक डी.ई.ओ. केवल ईडीपी पदों में रिक्तियों के प्रति पदोन्नति की अपेक्षा कर सकता है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि डी.ई.ओ. हेतु पदोन्नति के अवसर लेखापरीक्षक/ लेखाकार के संवर्ग में खोले जाए, इसे मुख्य धारा के संवर्गो के साथ एकीकृत किया जाए।

संवर्ग पुन: संरचना के प्रयास के अग्र संचलन में विलंब डी.ई.ओ. संवर्ग के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

डी.ई.ओ. ग्रेड 'ए' और 'बी' का वितरण 80:20 के अनुपात में है और ईडीपी संवर्ग का ग्रेड 'ए' से ग्रेड 'जी' तक अपना पदोन्नति संबंधी चैनल है। इसके अलावा, डी.ई.ओ. को एसएएस परीक्षा में बैठने की अनुमति है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 4: पुराने प्रारूप में एसएएस परीक्षा आयोजित करना, भाग II के अभ्यर्थियों को असीमित संख्या में अवसर प्रदान करना तथा नकारात्मक अंको की पद्धति को समाप्त करना।

स्पष्टीकरण:

उस पद्धति में जो 2010 से पहले तक अर्थात् ऑनलाइन परीक्षा में अंतरण से पूर्व प्रचलित थी, परीक्षाएं दो भागों में आयोजित की जाती थीं। हालांकि भाग I के लिए अवसरो की संख्या 6 तक सीमित थी (मामले की व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर छूट पर विचार किया जाता था), एसएएस (एसओजी) परीक्षा के भाग II के लिए अवसरो की संख्या की कोई सीमा नहीं थी।

यदि 10 अवसरों की वर्तमान सीमा (संयुक्त) को भाग II के अभ्यर्थियों के लिए असीमित संख्या में अवसरो के पूर्व पैटर्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह अनेक अभ्यार्थियों के लिए मददगार सिद्ध होगा। यह भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में कार्मिकों के लिए उपलब्ध अन्य पदोन्नति के अवसरों के अभाव के मद्देनज़र महत्वपूर्ण है।

ऑनलाइन परीक्षा को नकारात्मक अंकों की प्रणाली के अतंर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाईन परीक्षा में अभ्यार्थियों की प्रवीणता की जांच नहीं की जाती है जैसा कि पूर्व प्रणाली में थी। इसलिए, यह प्रस्ताव दिया जाता है कि हम एसएएस परीक्षा की पुरानी प्रणाली को पुन: प्रत्यावर्तित करें।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रया:

एएएएस परीक्षा के नौ प्रश्न-पत्रों को पास करने के लिए दस अवसर (6 नियमित और 4 अतिरिक्त) पर्याप्त है। अनुमान लगाने से बचने के लिए बहु विकल्पीय प्रश्नों को शामिल करते हुए कम्प्यूटर आधारित एसएएस परीक्षा में नकारात्मक अंकन को शुरू किया गया था। एसएएस परीक्षा में ड्राफ्टिंग पर एक वर्णनात्मक पेपर है।

इस एजेडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 5: लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में एसएएस परीक्षा आयोजित करना।

स्पष्टीकरण:

वर्ष 2016 में दीर्घ अवधि के बाद (7 वर्षों से अधिक) लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में एसएएस परीक्षा पुन: प्रारंभ की गई थी। परीक्षा केवल दो वर्षों के लिए आयोजित की गई थी अर्थात् 4 प्रयासों की अनुमति दी गई थी। 2018 से परीक्षा को रोक दिया गया था। सामान्यत: कम से कम 6 अवसरों की अनुमति दी गयी थी इस तर्क के आधार पर कम से कम दो और अवसरों की अनुमति दी जाए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

एसएएस परीक्षा 2019 में, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों, जहां रिक्तियां 10% से कम हैं, के पात्र कर्मचारियों को या तो एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा अथवा एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा में बैठने की अनुमति है। लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में जहां स.ले.प.अ. के संवर्ग में रिक्तियों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक हैं, पात्र कर्मचारियों को केवल एसएएस (सिविल लेखा) में बैठने की अनुमति है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 6: सभी अराजपत्रित संवर्गों में स्थानीय कार्मिकों की भर्ती तथा एकपक्षीय स्थानांतरण शुरू करना।

स्पष्टीकरण:

एसएससी द्वारा अपनायी गयी वर्तमान भर्ती नीति से सामाजिक के अलावा बहुत सी कार्यात्मक कठिनाईयां उत्पन्न् हो रही हैं। क्षेत्रीय भाषा (अर्थात राज्य की प्रशासनिक भाषा) में ज्ञान/ प्रवीणता भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक है। 2011-12 के बाद से भर्ती में अधिकतर बाह्य स्टेशन के उम्मीदवार दिए गए हैं जिन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है।

क्षेत्रीय भर्ती में एसएससी की अस्वीकृति ने आने वाले दिनों में काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।

इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि विभाग संबंधित स्टेशनों की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने वाले कार्मिकों की भर्ती के लिए तंत्र के विषय में विचार कर सकता है।

हम आगे अनुरोध करते हैं कि उनको अपने राज्य में वापस जाने के लिए एक बार स्थानांतरण की पेशकश की जा सकती है और सीएजी कृपया क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय भर्ती हेतु व्यवस्था कर सकता है जो विभाग को प्रभावी ढंग से विभाग के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

डीओपीटी भर्ती नियमों में भाषा प्रवीणता खंड जोड़ने हेतु विभाग के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। भाषा प्रवीणता खंड को शामिल करने के बाद स.ले.प.अ. के पद के लिए आरआर अधिसूचना हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में एकपक्षीय स्थानांतरण को 1997 से समाप्त कर दिया गया है। एकपक्षीय स्थानांतरण से कुछ कार्यालयों में काफी पद रिक्त हो जाएंगे और इससे विभाग के कार्यचालन में बाधा पहुंचेगी। संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते है। यह निर्णय लिया गया है कि विभाग के भीतर और विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति के लिए परिपत्रों को सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

इस मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 7: (i) पर्यवेक्षक को स.प्र.अ के रूप में पदनामित करना।

(ii) पर्यवेक्षकों को 4 वर्ष पूरा होने पर लेवल 9 पर एनएफयू प्रदान करना।

स्पष्टीकरण:

पर्यवेक्षक का पद स.प्र.अ संवर्ग (पहले अनुभाग अधिकारी) में से बनाया गया है। दोनों समान कार्य करते है, उनके समान उत्तरदायित्व है। परन्तु पर्यवेक्षक को निम्न माना जाता है और उसे स.प्र.अ को दिए गए ग्रुप बी राजपत्रित स्टेटस और अन्य पदोन्नति संबंधी अवसर नहीं दिए जाते।

सीसीएस में अनुभाग अधिकारियों की भर्ती तीन तरीकों से की जाती है- 1. सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती (20%), 2. सहायक अनुभाग अधिकारियों के मध्य परीक्षा से (40%) और 3. सहायक अनुभाग अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा (40%)।

केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग समानता को अस्वीकार करता है यद्यपि स.प्र.अ और पर्यवेक्षक समान कार्य निष्पादित करते है।

इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि पर्यवेक्षक को 4 वर्ष पूरा होने पर लेवल 9 पर एनएफयू का लाभ देकर और समान ग्रेडेशन सूची में रखकर स.प्र.अ के रूप में एवं उसके समान माना जाए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

1. *स.प्र.अ के पद हेतु भर्ती नियमावली के अनुसार केवल एसएएस उत्तीर्ण अधिकारियों को ही स.प्र.अ के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है और एसएएस उतीर्ण न करने वाले कर्मचारियों को स.प्र.अ के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता।*
2. *वित्त मंत्रालय ने पर्यवेक्षक को 4 वर्ष पूरा होने के बाद लेवल 9 पर एनएफयू देने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है।*

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. ४: संघों को पूर्ण कार्यात्मक सुविधाएं प्रदान करना।

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार के मौजूदा आदेशों और सीएजी द्वारा समर्थित सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ को कई बार मना किया गया है।

कई इकाइयां संगठनात्मक कार्य के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी और एक पदाधिकारी की तैनाती, संघ कक्ष के आबंटन आदि से मना करने की प्रवृति की हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस संबंध में स्थायी अनुदेशों/ओएम के कार्यान्वयन को मुख्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रि या:

क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में पहले ही परिपत्र जारी किया जा चुका है। तथापि, संघ की मांग के अनुसार संघ को कार्यात्मक सुविधाए देने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को परिपत्र जारी किया जाएगा।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 9: जेसीएम योजना के अंतर्गत स.प्र.अ को शामिल करना।

स्पष्टीकरण:

1966, जब संयुक्त परामर्शक मशीनरी एवं अनिवार्य मध्यस्थता की योजना शुरू की गई थी, में आइएएण्डएडी के अनुभाग अधिकारियों को ग्रुप सी में वर्गीकृत किया गया था और इसलिए यह योजना का भाग हैं।

1984 में आईएएण्डएडी में संवर्गो की पुन: संरचना और चौथे सीपीसी की सिफारिशों पर एएण्डई कार्यालयों को योजना के आगामी विस्तारण में 80% अनुभाग अधिकारियों को जेसीएम योजना से अलग रखते हुए ग्रुप बी राजपत्रित में वर्गीकृत किया गया। छठे सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में समस्त अनुभाग अधिकारी संवर्ग को ग्रुप बी राजपत्रित में रखा गया जिससे समस्त तत्कालीन अनुभाग अधिकारी संवर्ग जेसीएम योजना से बाहर हो गया।

अत: यह प्रस्ताव किया जाता है कि विभाग जे. सी. एम. एवं सी.ए. योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती अनुभाग अधिकारी (वर्तमान में सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी) संवर्ग को जारी रखने के लिए डीओपीटी को अनुरोध कर सकता है।

(केंद्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को ग्रुप बी राजपत्रित होने के बावजूद शुरूआत से ही इस योजना में शामिल किया गया था)।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सभी ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) पदों को जेसीएम योजना के परिशिष्ट I के प्रावधानों के अनुसार जेसीएम योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 10: ग्रेड पे 4600 पर एमएसीपी देने के बाद पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण।

स्पष्टीकरण:

सेवा के 30 वर्ष पूरा होने पर एक वरिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ लेखापरीक्षक एमएसीपी के अंतर्गत पे मेट्रिक्स के लेवल 7 (पूर्व संशोधित वेतनमान में जीपी 4600) पर तीसरे वित्तीय उन्नयन का हकदार होगा।

पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर उसके वेतन का निर्धारण लेवल 8 के समान स्टेज पर किया जाएगा, समान सैल पर नहीं, अत: पदोन्नति कर्मचारी को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

पहले, पदोन्नत व्यक्ति ग्रेड पे अर्थात 4800 एवं 4600 के बीच अंतर प्राप्त करने का हकदार था, जो पे मेट्रिक्स और पे लेवल शुरू होने के बाद इससे वंचित हो गया जिससे पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का आकर्षण कम हो गया।

यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी वेतन निर्धारण के तहत लाभ प्राप्त करेगा।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

छठे सीपीसी में पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाता था और ग्रेड पे में अंतर की अनुमति दी जाती थी। सातवें सीपीसी में ग्रेड पे की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार, उन कर्मचारियों जिन्हें पर्यवेक्षक के रूप में उनकी पदोन्नति पर लेवल 7 (ग्रेड पे ₹ 4600/-) पर वित्तीय उन्नयन पहले ही दिया जा चुका है, इनका वेतन निर्धारण लेवल 8 (वेतनमान ₹ 4800/-) पर किया जाएगा और यदि ऐसी स्टेज उपलब्ध नहीं है तो अगले स्टेज पर।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 11. व.प्र.अ. तक सभी संवर्गों के लिए समान नामावली।

स्पष्टीकरण

शायद आईएएंडएडी विभाग ही भारत सरकार के अंतर्गत एक मात्र ऐसा विभाग होगा जहां लगभग एक प्रकृति के कार्यों के लिए अलग अलग नामावली का प्रयोग किया जाता है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि विभाग की केवल अग्रलिखित नामावली –एमटीएस, लेखापरीक्षा सहायक (डीईओ), लेखापरीक्षक, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और (व.) लेखापरीक्षा अधिकारी होनी चाहिए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया

आईएएंडएडी में एमटीएस से व.प्र.अ. तक कर्मचारियों की मौजूदा नामावली कार्यों और भर्ती नियमों के स्वरूप के अनुसार है। इसलिए आईएएंडएडी में कर्मचारियों की मौजूदा नामावली को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस एजेंडा मद को समाप्त समझा जाये।

मांग संख्या 12: विभागीय कैंटीन में कार्मिकों की रिक्तियां को भरना/भर्ती करना।

स्पष्टीकरण:

विभागीय कैंटीन श्रमबल की काफी अधिक कमी से जूझ रहा है। कई विभागीय कैंटीन ठेकाबद्ध कार्मिकों के सहारे चल रही हैं, और वे भी आवश्यकता से काफी कम है।

यह अनुरोध किया जाता है कि स्थानीय लोगों की नियमित भर्ती विभागीय कैंटीन में की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया जाता है कि मौजूदा ठेकागत कार्मिक मौजूदा रिक्तियों के प्रति नियमित किये जा सकते हैं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

समूह 'ग' संवर्ग के संशोधित भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है और रिक्तियों का भरा जाना विचाराधीन है। समूह 'ख' संवर्ग के लिए संशोधित भर्ती नियम मुख्यालय में विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा रिक्तियों पर निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार आऊटसोर्स किया गया है।

मांग संख्या 13: ''सिविल सर्वेन्टस'' के लिए 2011 के डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 82 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करना, उक्त निर्णय के अनुसार समूह 'ख' और 'ग' कार्मिक का कोई स्थानांतरण नहीं।

स्पष्टीकरण:

यह देखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय और मुख्यालय परिपत्र सं. 1-स्टाफ विंग /2014, सं. 10-स्टाफ (एप-II)/63-2013 दिनांक 2.06.01.2014, की कुछ कार्यालय गलत रूप से व्याख्या कर रहे हैं, समूह 'ख' और 'ग' कार्मिकों पर इसे लागू किया जा रहा है और दूरस्थ स्थानों पर उनका स्थानांतरण किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ध्यान पूर्वक पठन यह स्पष्ट करता है कि निचले स्तर के कार्मिक पर यह निर्णय लागू नहीं होता।

डीजीसीए, हैदराबाद ने समूह 'ग' और समूह 'ख' (अराजपत्रित) कार्मिको को हैदराबाद से दूर विशाखापट्टनम में स्थानांतरित कर दिया है।

यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय निचले रैंक के कार्मिकों को सजा देने के लिए प्रयुक्त न किया जाये और डीजीसीए, हैदराबाद को स्थानांतरण आदेश वापस लेने की सलाह दी जाए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

वीपीटी लेखापरीक्षा की अनुपालना लेखापरीक्षा करने के लिए स्टाफ की कमी के कारण, 14 कर्मचारियों का स्थानांतरण 16.05.2018 को किया गया था। वर्तमान में केवल दो ऐसे कर्मचारी (लेखापरीक्षक) विशाखापट्टनम में है तथा उनको स्थानांतरण के प्रति कोई शिकायत या आपत्ति नहीं है।

एजेंडा मद को समाप्त माना जाये।

मांग संख्या 14: खेल कोटा भर्ती पुन: आरंभ करना।

स्पष्टीकरण:

खेल कोटा भर्ती दोबारा से बंदकर दी गई है। यह खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रस्ताव घोषित की गई नीति के विरूद्ध हैं।

वॉली बॉल जैसे कुछ खेलों की पिछली भर्तियों (बंद किये जाने से पहले) में पूर्णत अनदेखी की गई थी।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि आईएएंडएडी को खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए और इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत खेलों के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त स्थान देते हुए भर्ती को दोबारा आरंभ किया जाना चाहिए।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

दिनांक 14.04.2019 के परिपत्र द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को कैलंडर वर्ष 2019 के लिए खेल कोटा के प्रति प्रत्यक्ष भर्ती करने का प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। वॉली बॉल खिलाडियों की आवश्यता का आकलन किया जा रहा है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाये।

मांग सं. 15: अनुकंपा आधारित नियुक्तियों पर उदार दृष्टिकोण।

स्पष्टीकरण:

आश्रित आवेदनकर्ता की अर्हता निर्धारित करने हेतु विभाग द्वारा सुझायी गई वित्तीय सीमा से सेवा अवधि के दौरान मृत व्यक्तियों के परिवारों को हानि पहुंच रही है।

यह अनुरोध किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुकंपा आधारित नियुक्तियों में आवेदनों पर विचार करते समय मानवीय दृष्टिकोण रखने के निर्देश/सुझाव दिए जाए।

मांग पर आधिकारीक की प्रतिक्रिया:

इस संबंध में विभाग डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है। अनुकंपा आधारित नियुक्ति का मूल उद्देश्य परिवार को आकस्मिक आपदा और वित्तीय अभाव से उभरने का सामर्थ्य प्रदान करना है। अनुकंपा आधारित नियुक्ति के निवेदनों पर परिवार की वित्तीय स्थिति का संतुलित और निष्पक्ष आकलन के साथ विचार किया जाता है। मॉडल मूल्यांकन प्रणाली एक निष्पक्ष और उद्देश्यपरक तरीके से उपयुक्त बिंदुओं के साथ आवेदको पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति में निर्धारित मानदंडों के आधार पर निष्पक्ष और उद्देश्यपरक रूप से विचार करती है।

मूल्यांकन प्रणाली द्वारा प्राप्तांक अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए मामले की सिफारिश के लिए एकल मानदंड नहीं हो सकता। मूल्यांकन प्रणाली में अंक केवल अनुकंपा आधारित नियुक्ति की योजना के अंतर्गत विचाराधीन आवेदकों को प्रथम द्रष्टया निर्णीत करने के लिए डीएससी की सहायता के लिए होते है। अनुकंपा आधारित नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों से कोई विचलन नहीं है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 16: एमएसीपी के लिए ''बहुत अच्छा'' बेंचमार्क का प्रगामी लागू करना।

स्पष्टीकरण:

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु 'बहुत अच्छा' बेंचमार्क बनाया गया है। इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन 25.07.2016 को जारी किया गया।

यह सूचित किया गया है कि सभी कार्यालय 25 जुलाई 2016 से पूर्व की अवधि के लिए ''बहुत अच्छा'' को बेंचमार्क के रूप में मान रहे है, इस प्रकार अन्यथा अर्हक कार्मिकों की बड़ी संख्या के वित्तीय उन्नयन के लाभों को अस्वीकार किया जा रहा है।

सशस्त्र सीमा बल ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 जनवरी 2019 द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रगामी प्रभाव से बेंचमार्क परिवर्तन को लागू किया है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार के निदेश सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए जाऐं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

उन मामलों में जहां एमएसीपी 25.07.2016 को या बाद में देय हैं ''बहुत अच्छा'' बेंचमार्क का अनुपालन किया जाना होता है। विभाग डीओपीटी द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियम और आदेशों का पालन कर रहा है। डीओपीटी द्वारा सशस्त्र सीमा बल आदेश दिनांक 10.02.2019 के मामले में लिखित तथ्यों पर कोई सामान्य आदेश/परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

यह एजेंडा मद समाप्त मानी जाए।

मांग संख्या 17: डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा,नागपुर को अतिरिक्त कार्य प्रदान करना।

स्पष्टीकरण:

नागपुर बीएओ लगभग 100 वर्षों के प्रसिद्ध इतिहास का सबसे पुराना डाक व दूरसंचार कार्यालय है। नागपुर बीएओ, स्टाफ की कमी के बावजूद वर्ष दर वर्ष अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। अब तक, कल्याण एवं रायगढ़ जिले, गोआ, कोलहापुर, नासिक आदि इकाई तथा हाल ही में मेईट वाई इकाई नामत: सी-डैक कॉरपॉरेट कार्यालय पुणे, सीई-एमईटी डीजी कार्यालय, सी-मेट पुणे, एसडीसी,एनआईसी पुणे तथा ईटीडीसी पुणे भी मुंबई बीएओ को स्थानांतरित कर दी गई है। साथ ही नागपुर बीएओ के पास वर्तमान में सर्कल कार्यालय नहीं है।

अत: यह अनुरोध किया जाता है कि:

i) सभी मेईट वाई इकाई बीएओ नागपुर को वापिस की जाएं।
ii) (i) के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ सर्कल भी बीएओ, नागपुर को आबंटित किया जाए क्योंकि सभी छत्तीसगढ़ इकाईयां नागपुर के समीप है; और
iii) नागपुर बीएओ से स्थानातंरित किए गए दो वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद नागपुर बीएओ में वापिस लाऐं जाएं।

मांग परआधिकारिक प्रतिक्रिया:

महानिदेशक (डा. एवं यू) दिल्ली ने यह सूचित किया है कि महानिदेशक (डा. एवं यू) के शाखा कार्यालयों के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार का आबंटन राज्यवार किया गया है। हैदराबाद बीएओ में व.ले.अ./ले.अ. की नियमित रिक्तियों के अभाव में, नागपुर बीएओ से स्थानांतरित किये गए व.ले.अ. के दो पद वर्तमान में वापिस नहीं किये जा सकते। क्षेत्रीय स्तर के संघ ऐसे स्थानीय/क्षेत्रीय मामलों को संबंधित विभागाध्यक्ष के साथ उठा सकते है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग संख्या 18: तदर्थ स.ले.अ. को लेवल 9 तक एनएफयू प्रदान करना।

स्पष्टीकरण:

एसएएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के असंतोष को कम करने हेतु तदर्थ स.प्र.अ. की योजना 2009 में आरंभ की गई थी।

छठे सीपीसी के लागू करने पर तदर्थ स.प्र.अ. को भी राजपत्रित वर्गीकृत किया गया। तदर्थ स.प्र.अ. नियमित स.प्र.अ. के सभी कार्यों का निष्पादन करते हैं।

लेकिन नियमित स.प्र.अ. के समान 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें लेवल 9 तक एनएफयू प्रदान नहीं किया जाता। कृपया नियमित स.प्र.अ. के समान तदर्थ स.प्र.अ. को लेवल 9 तक एनएफयू प्रदान करके इसमें सुधार किया जाए।

मांग परआधिकारिक प्रतिक्रिया:

स.प्र.अ. के रूप में पदोन्नत होने हेतु एसएएस अर्हकारी परीक्षा है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों विशेषत: ले. व ह. कार्यालयों में एसएएस उत्तीर्ण कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान करने हेतु पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध नहीं है। आरटी/तदर्थ पदों का सृजन स.प्र.अ. के रूप में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे एसएएस उत्तीर्ण स्टाफ को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया था। स.प्र.अ. (तदर्थ/आरटी) उसी पद का कार्य करता रहता है जिस पद से कर्मचारी स.प्र.अ. (तदर्थ/आरटी) के पद पर प्रोन्नत हुआ था। ऐसे कर्मचारी नियमित स.प्र.अ. नहीं होते। अत: एनएफयू प्रदान करना संभव नहीं है। तथापि, स.प्र.अ. (तदर्थ/आरटी) को एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लाभ प्रदान करना अनुमत है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।